RCMS 2020/00019

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 39 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2020	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी मधुसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी शोभासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम शोभासर की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाता खंख्या 388 पुराना खाता संख्या 362 में वादी का नाम मगसिंह पुत्र भवंरसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मधुसिंह पुत्र भंवरसिह है। वादी का नाम मधुसिंह पुत्र भंवरसिह किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का शोभासर व उपतहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में वादी का नाम मगसिंह पुत्र भवंरसिंह, जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार वादी का सही नाम मधुसिंह पुत्र भंवरसिह है, जो शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उपतहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत2076–2079 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी जमाबंदी नया खाता संख्या 388 पुराना खाता संख्या 362 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	शोभासर	388 / 362	मगसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी शोभासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू	मधुसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी शोभासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested